"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2026 — फाल्गुन 29, शक 1947

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 (फाल्गुन 29, 1947)

क्रमांक–5161/वि.स./विधान/2026.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) जो शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का 1) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहलायेगा। — **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का 1) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) के भाग—3 की धारा 8 एवं 9 तथा उससे संबंधित शीर्षक को विलोपित किया जाए। — **भाग—3 का विलोपन.**

3. मूल अधिनियम की अनुसूची को विलोपित किया जाए। — **अनुसूची का विलोपन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का 1) के प्रावधानों के अंतर्गत विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या उससे अधिक कालावधि के पट्टों पर देय स्टाम्प शुल्क के 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया जाता है।

और यतः अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के पंजीयन पर बाजार के 05 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क एवं 01 प्रतिशत नगरीय निकाय/जनपद शुल्क प्रभार्य है, इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का 12 प्रतिशत उपकर (स्टाम्प के रूप में) देय होता है। इसके अलावा 04 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क भी प्रभार्य होता है। इस प्रकार संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर संपत्ति के बाजार मूल्य का कुल 10.6 प्रतिशत शुल्क प्रभार्य होता है।

पूर्व में स्टाम्प शुल्क पर 5 प्रतिशत उपकर देय था। वर्ष 2023 में "छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना" से संबंधित प्रयोजन के लिए संपत्ति के अंतरण पर उपकर शुल्क बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया था।

चूंकि वर्तमान में "राजीव मितान क्लब योजना" संचालित नहीं है इसलिए उक्त अतिरिक्त उपकर शुल्क का लिया जाना अब प्रासंगिक नहीं है। इसके अतिरिक्त आम जनता पर वित्तीय भार को कम करने हेतु स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अधिरोपित उपकर शुल्क को पूरी तरह से समाप्त किया जाना उपयुक्त पाया गया है।

तदनुसार, छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 के भाग 3 अन्तर्गत धारा 8 एवं 9 में प्रावधानित विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या उससे अधिक कालावधि के पट्टा विलेख पर लगने वाले 12 प्रतिशत उपकर को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

ओ.पी. चौधरी
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 18 मार्च, 2026

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 में राज्य की संचित निधि में अनुमानित राशि रू. 148.00 करोड़ वार्षिक राजस्व की कमी होगी।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम,1981 (क्र 1 सन् 1981) के भाग–3 का सुसंगत उद्धरण

भाग–3
स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर

धारा 8. इस भाग में शब्द ''स्थावर संपत्ति'' का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम,1882 (क्र. 4 सन् 1882) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है।

****

धारा 9. (1) विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक कालावधि के पट्टे के माध्यम से स्थावर संपत्ति के अंतरण पर इस अधिनियम के साथ संलग्न अनूसूची के अनुसार उपकर प्रभारित किया जाएगा, उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा संदत्त किया जाएगा:

परन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन छूट, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन उपकर के संबंध में उसी सीमा तक लागू होंगी, जिस सीमा तक कि वे, उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क को इस प्रकार लागू होती हो, मानो कि उपकर, उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क हो।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर, स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण के साथ चुकाया जाएगा और वसूल किया जाएगा। उपकर के भुगतान को, अंतरण के विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899) का सं. 2) के अधीन जारी किये गये स्टाम्प चिपकाकर दर्शाया जायेगा।

(3) उपकर, उस व्यक्ति के द्वारा देय होगा, जिसके द्वारा भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी, किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक ग्रहण नही करेगा, जब तक कि उप–धारा (1) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर पूर्णतः चुका न. दिया गया हो।

(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 48 के उपबंध, इस भाग के अधीन उपकर की वसूली पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे, इस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्तियों की वसूली पर लागू होते हैं।

(6) उपकर के आगम, ग्रामीण विकास निधि एवं छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना से संबंधित प्रयोजन के लिए उपयोजित किये जायेंगे।

उपकर से प्राप्त राजस्व का विभाजन विहित रीति से किया जायेगा।

****

अनुसूची

लिखतों पर उपकर

(धारा 9 (1) देखिये)

स.क्र.	लिखतों का विवरण	संपत्ति का विवरण	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विक्रय, दान भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए पट्टा	स्थावर संपत्ति के अंतरण पर	स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का सं. 2) की अनुसूची 1–क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, 12 प्रतिशत की दर से।

दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.